NIB Code :- SMB2526A0021
UBN :- SMB2526SSRC00021

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, दुर्गापुरा

राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर

क्रमांक – प.3(13) / RSSB / स्टोर / श्रेडीड रद्दी निस्तारण / 2025–26 / 353 दिनांक : 12/01/2026

खुली नीलामी सूचना (2025–2026)/14

बोर्ड कार्यालय में समय–समय पर एकत्रित होने वाली विभिन्न प्रकार की कतरन (Shredded Paper Scrap Material) की गयी कागज रद्दी है, जिनका अनुमानित वजन 15000 किलो ग्राम है एवं अनुमानित लागत राशि 5.00 लाख रूपये की नीलामी / विक्रय हेतु एक वर्ष के लिए दर अनुबंध हेतु इच्छुक फर्म / निर्माता / पंजीकृत आपूर्ति / खरीददार / दरदाताओं से सीलबंद निविदाएँ (तकनीकी एवं वित्तीय) से आमंत्रित की जाती है। इस सामग्री की निविदा डाउनलोड, निविदा खोलने की तिथि, निविदा शुल्क, बोली प्रतिभूति राशि जमा कराने की तिथि एवं निविदा की शर्ते इत्यादि सम्पूर्ण विवरण वेबसाइट **http:sppp.rajasthan.gov.in** एवं विभागीय वेबसाइट **www.rssb.rajasthan.gov.in** पर देखी जा सकती है तथा निविदा प्रपत्र वेबसाइट से निर्धारित अवधि में डाउनलोड किए जा सकते हैं ।

नोट–

निविदा प्रपत्र विभागीय वेबसाईट **www.rssb.rajasthan.gov.in** एवं राज्य लोक उपापन पोर्टल **http://sppp.rajasthan.gov.in** पर देखे जा सकते है । बोर्ड की वेबसाइट या उपापन पोर्टल से निविदा डाउनलोड करने की स्थिति मे निविदा शुल्क, ई–ग्रास चालान द्वारा बजट मद–0075–00–800–52–01–निविदा प्रपत्र शुल्क राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर के नाम से जमा कराना होगा।

1. बोली प्रतिभूति राशि ई–ग्रास चालान से एवं कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि बैंकर चैक या डिमाण्ड ड्राफ्ट या अनुसूचित बैंक के विनिर्दिष्ट रूप विधान में बैंक गारन्टी या सरकारी विभागों की दशा में ईजीआरएएस के माध्यम से जमा के रूप में दी जा सकेगी। कार्य सम्पादन प्रतिभूति, बोली की मूल या बढ़ायी गई विधि मान्यता की अवधि से 30 दिन आगे तक विधि मान्य रहनी चाहिए।
2. यदि किसी कारणवश तकनीकी निविदा खोले जाने की तिथि को अवकाश रहता है तो तकनीकी निविदा उसके अगले दिन उसी समय पर खोली जावेगी।

सचिव

क्रमांक – प.3(13) / RSSB / स्टोर / श्रेडीड रद्दी निस्तारण / 2025–26 / दिनांक :

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय, जयपुर को निविदा की दस प्रतियां एवं सी.डी. में संलग्न कर भिजवाई जा रही है इसको नियमानुसार एक राज्य स्तरीय समाचार पत्र के स्थानीय प्रकाशन में न्यूनतम जगह में प्रकाशित करवाकर विज्ञप्ति की प्रति के साथ सूचित करावें।
2. प्रभारी अधिकारी आई.टी. को भेजकर लेख है कि उक्त निविदा प्रपत्र को बोर्ड की वेबसाईट पर अपलोड करावें।
3. नोडल अधिकारी, बोर्ड SPPP को भेजकर लेख है कि **http:sppp.raj.nic.in** वेबसाईट पर अपलोड करावें।
4. कैशियर / प्राप्ति लिपिक / नोटिस बोर्ड, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर।

सचिव

तकनीकी निविदा प्रपत्र

1.	निविदा आमंत्रित करने वाला विभाग		सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर
2.	निविदा अधीन कार्य का विवरण		विभिन्न प्रकार की कागज की रद्दी (Shredded Paper Scrap Material) का निस्तारण
3.	निविदा प्राप्त करने वाले अधिकारी नाम		सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर
4.	निविदा उपलब्ध होने की तिथि		दिनांक 12/01/2026
5.	निविदा प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथी व समय		दिनांक 27/01/2026 को सांय 01.00 बजे तक
6.	तकनीकी निविदा खुलने की तिथी और समय		दिनांक 27/01/2026 को साय 03.00 बजे उपापन समिति द्वारा उपस्थित बोली दाताओं के समक्ष सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर के कक्ष में
7.	निविदादाता का विवरण	नाम	
		पता	
		टेलीफोन	
		मोबाईल फोन	
		प्राधिकृत व्यक्ति का नाम/पदनाम (जीएसटी पंजीयन के अंतर्गत)	
8.	निविदा शुल्क राशि 500/—रूपये जमा कराने का विवरण (राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर के नाम से बजट मद **0075—00—800—52—01** में देय)		ई—ग्रास चालान संख्या ————————————/ दिनांक ——————
9.	बोली प्रतिभूति राशि रूपये 10000/— जमा कराने का विवरण (राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर के नाम से बजट मद **8443—00—103—00—00 में** देय)		ई—ग्रास चालान संख्या ————————————/ दिनांक ——————
10.	GST नियमों के अंतर्गत पंजीयन सं. .... एवं पेन नंबर .... की प्रति संलग्न है।		

11. राजकीय विभागों तथा स्वायत्तशासी संस्थाओं मे पिछले 3 वर्षो का अनुभव का विवरण (कार्यादेश की छायाप्रति संलग्न करें)

क्र. सं.	राजकीय विभागों तथा स्वायत्तशासी संस्थाओं का नाम	अवधि
1.		
2.		
3.		

रद्दी से कागज बनाने वाले मिल/कारखानों को निविदा में भाग लेने हेतु अनुभव की आवश्कता नहीं है बशर्ते वह ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत करे जिनसे यह स्पष्ट हो की फर्म कागज मिल/उद्योग के रूप में पंजीकृत है।

12. निविदा पर हस्ताक्षर फर्म से अधिकृत व्यक्ति द्वारा किए जावे।
13. निविदाओं को निविदा सूचना में दिए गए निर्देशों के अनुसार उचित रूप से मुहरबंद लिफाफे में बंद करना चाहिए। "तकनीकी निविदा" और "वित्तीय निविदा" के अलग-अलग सीलबंद लिफाफों को एक तीसरे बड़े लिफाफे में रखकर उक्त बड़े लिफाफे को भी सीलबंद करना होगा। तीसरे लिफाफे पर "रद्दी निस्तारण हेतु दर निविदा" के लिये निविदा लिखना अनिवार्य होगा।
14. बिडदाता अपनी अन्य कोई शर्त अंकित नही करें। यदि अन्य शर्त अंकित की जाती है तो बिड को अस्वीकृत करने/शर्त को अमान्य करने का अधिकार बोर्ड का होगा।
15. दर दाता फर्म का वार्षिक टर्न ओवर पिछले 3 वर्षो में प्रतिवर्ष 3 लाख रूपये का होना अनिवार्य है।
16. बोली प्रतिभूति राशि, निविदा प्रपत्र शुल्क के बिना प्राप्त निविदा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
17. निविदा प्रपत्र, निविदा सूचना से सम्बन्धित नियम, शर्ते सम्बन्धी दस्तावेज आदि विभागीय वेब साईट **www.rssb.rajasthan.gov.in**, राज्य लोक उपापन पोर्टल (**http://sppp.rajasthan.gov.in**) के पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकता हैं। डाउनलोड किये गये निविदा प्रपत्र का निर्धारित शुल्क निविदादाता द्वारा निविदा के साथ संलग्न करना होगा।
18. निर्धारित दिनांक व समय के पश्चात प्राप्त निविदाऐं स्वीकार नहीं की जावेगी।
19. निविदाओं को आशिंक या पूर्ण रूप से स्वीकार/अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार बोर्ड कार्यालय का होगा।
20. तकनीकी निविदा को स्वीकार किये जाने हेतु अनिवार्य शर्तें :-
    1. निर्धारित बोली प्रतिभूति राशि रुपये 10000/- का ई-ग्रास चालान।
    2. निविदा प्रपत्र नेट से डाउनलोड किये जाने पर निविदा के साथ निविदा प्रपत्र शुल्क रू. 500/- का ई-ग्रास चालान।
    3. वार्षिक टर्न ओवर के दस्तावेज।
    4. अनुभव प्रमाण पत्र।
21. निविदादाता द्वारा प्रस्तुत निविदा को तकनीकी दृष्टि से उपयुक्त पाये जाने पर ही निविदादाता की वित्तीय निविदा खोली जावेगी।
22. निविदा में आमंत्रित दरें अनुमोदित किये जाने की दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये विधिमान्य होगी।
23. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के सभी प्रावधान प्रभावशील होगें। अतः दर संविदा के मामले मे नियम 29(झ) के प्रावधान प्रभावशील होंगे।
24. अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु :-

1. पूरी बोली दस्तावेज डाउनलोड करने के प्रयोजन के लिए वेबसाइटों **http://www.rssb.rajasthan.gov.in**, **http://www.sppp.rajasthan.gov.in** पर प्रकाशित किया गया है। डाउनलोड की अंतिम बोली दस्तावेज में केवल 500 रुपये की बोली दस्तावेज शुल्क के जमा करने के लिए बोली की प्रक्रिया के विषय में भाग लेने के लिए वैध माना जाएगा। ई–ग्रास चालान जो सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर के पक्ष में देय हो संलग्न कर प्रस्तुत करना आवश्यक है।
2. बोली दस्तावेज (तकनीकी और वित्तीय बोली) सहित सभी संचार/पत्राचार बोलीदाता के नामित अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर और मुहर लगाई जानी चाहिए।
3. तकनीकी बोली निविदा सूचना में और बोली लगाने के नामित प्रतिनिधियों की उपस्थिति में निविदा सूचना में अंकित दिनांक के अनुसार खोला जाएगा। तकनीकी मूल्यांकन प्रक्रिया की योग्यता प्राप्त बोलियों पर ही वित्तीय निविदा के मूल्यांकन के लिए आगे विचार किया जाएगा. वित्तीय बोली हेतु सभी तकनीकी रूप से योग्य बोली लगाने वालों को बाद में सूचित किया जाएगा जो अलग तारीख और समय पर तकनीकी रूप से योग्य बोलीदाताओं नामित प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोली जाएगी।

25. निविदा से संबंधित बिन्दुः–

1. बोलीदाता उपापन की बेबसाईट **http://www.sppp.rajasthan.gov.in** को देखें एवं बोली के लिए पंजीकरण और निविदा प्रस्तुत करने के लिए दिशा निर्देशों का पालन करना होगा।
2. बोलीदाताओं को बोली प्रस्तुत करने की आखिरी तारीख के पहले अच्छी तरह से अपनी बोली प्रस्तुत करना चाहिए बोर्ड आखिरी समय पर प्रस्तुत करने के दौरान बोलीदाता को पेश करने में आ रही किसी भी समस्या के लिए उत्तरदायी नहीं होगा एवं समय सीमा/वेबसाइट पर प्रस्तुत नहीं की गई बोलियों को शामिल करने के लिए अनुमति का विस्तार से उपरोक्त कारणों की वजह से विचार नहीं किया जाएगा।
3. बोलीदाताओं को सभी आवश्यक दस्तावेजों जिनका निविदा दस्तावेज में उल्लेख किया है अपलोड करने की जरूरत है।

26. निविदा प्रारूप स्याही से भरा जायेगा या टंकित किया जायेगा। पैंसिल से भरी गयी किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदादाता निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा तथा अंत में निविदा की समस्त शर्तों को स्वीकार करने के प्रमाण में हस्ताक्षर करेगा।

27. दरें शब्दों एवं अंकों दोनों में लिखी जायेगी। इसमें कोई त्रुटियां (Errors) एवं/या उपरिलेखन (Overwriting) नहीं होना चाहिये। यदि कोई शुद्धियाँ करनी हों तो स्पष्ट रूप से की जानी चाहिये एवं दिनांक सहित उन पर लघुहस्ताक्षर किये जाने चाहिये। शब्दों व अंकों में प्रस्तुत दरों में भिन्नता होने पर शब्दों में अंकित दरों को प्रस्तावित दर माना जावेगा।

28. **करार एवं कार्य संपादन प्रतिभूति(Agreement and Performance Security) :–**

1. सफल निविदादाता को आदेश के प्राप्त होने से 07 दिन की अवधि के भीतर प्रारूप 17 में उसके खर्चे पर विनिर्दिष्ट मूल्य के न्यायिकेतर स्टाम्प पर एक करार पत्र निष्पादित करना होगा तथा निविदा में अंकित अनुमानित राशि के 5 प्रतिशत के बराबर कार्य संपादन प्रतिभूति राशि जमा करानी होगी।
2. कार्य सम्पादन प्रतिभूति की अभ्यर्थना राज्य सरकार के विभागों और ऐसे उपक्रमों, निगमों, स्वायत्त निकायों, रजिस्ट्रीकृत सोसाइटियों, सहकारी सोसाइटियों जो राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण या प्रबंध में हों और केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों के सिवाय समस्त प्रतिभूति घोषणा ली जायेगी। राज्य सरकार किसी विशिष्ट उपापन या उपापन के किसी प्रवर्ग के मामले में कार्य सम्पादन प्रतिभूति के उपबंध को शिथिल कर सकेगी।
3. राजस्थान के लघु उद्योगों के मामले में माल के प्रदाय के लिये अनुमानित राशि की एक प्रतिशत होगी और लघु उद्योगों से भिन्न रूग्ण उद्योगों, जिनके मामले औद्योगिक और

वित्तीय पुनर्निमाण बोर्ड के समझ लंबित है, के मामले में यह प्रदाय अनुमानित राशि का दो प्रतिशत होगी।

4. कार्य सम्पादन प्रतिभूति निम्नलिखित प्रारूपों में से किसी एक में प्रस्तुत की जायेगी:

i. "ई–ग्रास(egras)के माध्यम से जमा"

ii. किसी अनुसूचित बैंक का बैंक ड्राफ्ट या बैंकर चैक,

iii. राष्ट्रीय बचत पत्र और राजस्थान में किसी डाकघर द्वारा अल्प बचत के प्रोन्नयन के लिये राष्ट्रीय बचत स्कीमों के अधीन जारी कोई अन्य स्क्रिप्ट / लिखत, यदि वह सुसंगत नियमों के अधीन बंधक रखी जा सकती हो। बोली के समय वे उनके समर्पण मूल्य पर स्वीकार की जायेंगी और मुख्य डाकपाल के अनुमोदन से औपचारिक रूप से उपापन संस्था के नाम अंतरित की जायंगी।

iv. किसी अनुसूचित बैंक की बैंक गारंटी / गारंटियां। यह जारी करने वाले बैंक से सत्यापित करायी जायेगी। बैंक गारंटी से संबंधित अन्य शर्तें बोली प्रतिभूति के लिये नियम 42 में वर्णित के समान होंगी।

v. किसी अनुसूचित बैंक की नियत जमा रसीद (एफडीआर)। यह बोली लगाने वाले के खाते उपापन संस्था के नाम होगी और बोली लगाने वाले द्वारा अग्रिम रूप से उन्मोचित की जायेगी। उपापन संस्था नियत जमा रसीद को स्वीकार करने के पूर्व यह सुनिश्चित करेगी कि बोली लगाने वाला बैंक की ओर से उपापन संस्था को संबंधित बोली लगाने वाले की सहमति की अपेक्षा के बिना, नियत जमा रसीद का मांग पर संदाय / समयपूर्व संदाय करने का वचन देता है। कार्य सम्पादन प्रतिभूति के समपहरण की दशा में नियत जमा ऐसी नियत जमा पर अर्जित ब्याज के साथ समपहृत कर ली जायेगी।

5. कार्य सम्पादन प्रतिभूति, वारंटी बाध्याताओं और रखरखाव और दोष दायित्व कालावधि को सम्मिलित करते हुये बोली लगाने वाले की समस्त संविदाजात बाध्यताओं के पूरा होने की तारीख से परे साठ दिनों की कालावधि के लिये विधिमान्य रहेगी।

(3) **प्रतिभूति निक्षेप का समपहरण :–** प्रतिभूति की राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में समपहृत किया जा सकेगा :–

a. जब संविदा के किन्हीं निबंधनों और शर्तो का उल्लंघन किया गया हो।

b. जब निविदादाता सम्पूर्ण प्रदाय संतोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।

c. प्रतिभूति निक्षेप को समपहृत करने के मामले मे युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जायेगा। इस संबंध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

29. भरे हुए कागज रद्दी के कतरन (Shredded Paper Scrap Material) अनुमोदित फर्म को अपने खर्चे पर बोर्ड परिसर में बोर्ड के अधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष कराने होंगे। अधिकृत प्रतिनिधि के प्रमाण पत्र के पश्चात ही रद्दी सामग्री बोर्ड कार्यालय से उठाने दी जायेगी।

30. कागज रद्दी के कतरन (Shredded Paper Scrap Material) बोरों में भरने तथा तोलने की व्यवस्था अपने खर्चे पर सफल बिडदाता को करनी होगी। खाली गाड़ी का वजन, सामग्री भरने के बाद के वजन में से कम करके किया जावेगा। रद्दी सामग्री कम होने पर फर्म द्वारा स्वंय की तोलने की मशीन पर रद्दी बोर्ड कार्यालय में तोली जा सकेगी। यह सभी कार्यवाही इस हेतु गठित कमेटी की उपस्थिति में की जावेगी तथा रद्दी की गाड़ी रवाना करने से पूर्व समस्त राशि कर सहित बोर्ड कार्यालय में जमा करानी होगी।

31. रद्दी बोर्ड कार्यालय से कार्यादेश जारी होने के 7 दिवस के अंतर्गत उठवानी होगी। निर्धारित अवधि में माल ना उठाने पर शास्ती नीचे लिखी सारणी के अनुसार प्रतिदिन के हिसाब से लगेगी। यह राशि कार्य संपादन प्रतिभूति राशि में से काट ली जावेगी। रद्दी के वजन का सत्यापन भण्डारपाल एवं लेखाकर्मी के द्वारा संयक्त रूप से किया जावेगा।

क्र.सं.	विलम्ब अवधि	शास्ती दर

1.	प्रथम 7 दिवस की देरी के लिए	रू. 1000/- प्रतिदिन
2.	8 से अधिक एवं 14 दिवस तक की देरी के लिए	रू. 2000/- प्रतिदिन
3.	15 से अधिक एवं 21 दिवस तक की देरी के लिए	रू. 3000/- प्रतिदिन
4.	22 से अधिक एवं 28 दिवस तक की देरी के लिए	रू. 4000/- प्रतिदिन

32. उक्त 30 दिवस की शास्ति अवधि के पश्चात् सचिव को यह अधिकार होगा कि पुनः निविदा आमंत्रित कर अथवा अन्य निविदादाता को माल बेच सके तथा सफल निविदादाता द्वारा धरोहर/प्रतिभूति राशि जब्त की जा सकेगी। इस प्रकार के विक्रय से यदि कोई हानि होती है तो हानि की रकम दोषी निविदादाता की जमा धरोहर/प्रतिभूति राशि अथवा दोनों से वसूल कर ली जायेगी।
33. रद्दी भरने का कार्य ठेकेदार स्वयं के मजदूरों से करायेगा जिसका कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जायेगा एवं बारदाना स्वयं लेकर आयेगा तथा रद्दी उठाने के लिए ट्रक/वाहन बोर्ड कार्यालय में मध्याह्न 12:00 बजे से पूर्व लाना होगा।
34. समस्त रद्दी को उठाने के बाद कोई रद्दी उठाना शेष नहीं है इस आशय का प्रमाण पत्र प्रभारी अधिकारी भण्डार (स्टोर) से प्राप्त होने के उपरांत ही कार्य पूर्ण माना जायेगा।
35. सफल बोलीदाता अपने कार्य/संविदा को अथवा उसके किसी भाग को किसी अन्य व्यक्ति/फर्म/ऐजेंसी को नहीं सौंपेगा या सब-लेट नहीं करेगा।
36. विक्रय की गई रद्दी का परिवहन अनुमोदित क्रेता को पूर्ण सावधानी के साथ इस प्रकार करना होगा कि समस्त रद्दी बोर्ड परिसर से उठाये जाने के बाद सीधे मील में पहुंचे तथा उक्त रद्दी को परिवहन करने वाले वाहन को तिरपाल आदि से चारों तरफ से इस प्रकार मजबूती से कवर्ड करना होगा ताकि परिवहन के दौरान मार्ग में कहीं पर भी रद्दी का टुकडा भी गिरने नहीं पावें यदि मार्ग में कहीं पर भी उक्त रद्दी सामग्री गिरने/परिवहन पश्चात भी उक्त रद्दी सामग्री का गलत प्रयोग या पल्प मील में नही भिजवाने की रिपोर्ट/जानकारी बोर्ड को आती है/होती है तो निविदादाता के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सकेगी जिसके लिए निविदादाता स्वयं उत्तरदायी होगा।
37. स्वीकृत निविदाकार को रद्दी का तोल बोर्ड द्वारा नियुक्त तोल समिति के सदस्यों की समिति में निर्देशानुसार धर्मकांटे पर या बोर्ड में इलैक्ट्रोनिक कांटा लाकर करवाना होगा। आवश्यकता होने पर तोल अन्य कांटों पर भी करवाया जा सकता है, ऐसी स्थिति में अधिक तोल/वजन वाला कांटा ही मान्य होगा।
38. रद्दी का नमूना किसी भी कार्यदिवस में बोर्ड कार्यालय में देखा जा सकता है।
39. निविदाकार GST पंजीयन संख्या एवं पैन नं. आदि प्रमाण पत्र व अन्य वांछित दस्तावेज जो आवश्यक हो निविदा के साथ संलग्न करे।
40. माल का वजन अनुमानित है जो कि कम या ज्यादा हो सकता है।
41. रद्दी भरने के लिए बोरे स्वयं के खर्च पर पहले उपलब्ध कराने होंगे तथा माल भरने के पूर्व खाली बोरे तुलवाने होंगें।
42. बिडदाता की उक्त बिड में सम्मिलित शर्तों के अलावा अन्य कोई भिन्न शर्त स्वीकार्य नहीं होंगी। सशर्त निविदा स्वीकार नहीं होगी।
43. बोर्ड कार्यालय से प्रतिदिन उठायी जाने वाली रद्दी की अनुमानित मात्रा की राशि का ई-ग्रास चालान अग्रिम रूप से बोर्ड कार्यालय में जमा करवाना होगा।
44. राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित GST कर एवं आयकर सफल बिडदाता द्वारा पृथक से नियमानुसार सम्बधित विभाग को जमा कराया जावेगा।
45. निर्धारित दिनांक व समय के पश्चात् प्राप्त होने वाली बिडों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
46. बिड में वर्णित सभी आईटम्स के लिये एक ही दर प्रति किलोग्राम के हिसाब से बिड प्रपत्र में प्रस्तुत की जानी है। शब्दों एवं अंकों में अंकित दरों में भिन्नता पाये जाने पर शब्दों में अंकित दर मान्य होगी।
47. किसी भी बिड अथवा समस्त बिडों को बिना कारण बतायें निरस्त करने का अधिकार सचिव,

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर का होगा।

48. **बिड़ संबंधित किसी भी निर्णय के विरूद्व प्रथम अपील अध्यक्ष, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड एवं द्वितीय अपील प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, कार्मिक विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को की जा सकेगी।**

49. किसी भी विवाद का न्याय क्षेत्र जयपुर होगा।

50. इस निविदा एवं अनुबंध के संबंध में अन्य शर्तें एवं नियम जिनका ऊपर उल्लेख नहीं किया गया है, राजस्थान सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के भाग–II के प्रावधान लागू होंगे।

51. **मैनें/हमने उपरोक्तानुसार वर्णित सभी शर्तों को भली भांति पढ़ लिया है एवं समझ लिया है। मैं/हम उपरोक्त वर्णित सभी शर्तों की पूर्ण पालना करने के लिये सहमत हैं/हूं।**

निविदादाता के हस्ताक्षर	
दिनांक	
ठेकेदार/संस्था का नाम	
संस्था की स्थिति में हस्ताक्षर करने वाले का नाम व पदनाम	
मोबाइल फोन नम्बर	
ई–मेल पता	

<u>अपीलः—</u>

- निविदादाता अपील उतनी प्रतियों में जितने अपील के प्रत्यर्थी है निर्धारित प्रारूप मे (संलग्न—अनु.—2) पेश करेगा।
- निविदादाता द्वारा प्रत्येक अपील उस आदेश, जिसके विरूद्व अपील की गई है, यदि कोई है, अपील में कथित तथ्यों को सत्यापित करने वाले शपथ पत्र और फीस के संदाय के सबुत के साथ होगी।
- प्रत्येक अपील प्रथम अपील अधिकारी—(i) **अध्यक्ष, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर** तथा द्वितीय अपील अधिकारी —(ii) **प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, कार्मिक विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर** को व्यक्तिशः या रजिस्टर्ड डाक या प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत की जायेगी।
- प्रथम अपील किसी निर्णय की दिनांक से 7 कार्य दिवसों में तथा द्वितीय अपील प्रथम अपील अधिकारी द्वारा दिये गये निर्णय की दिनांक से 7 कार्य दिवसो में पेश की जा सकती है। उक्त समय के उपरान्त की गई अपील पर विचार नहीं किया जायेगा।

<u>अपील फीसः—</u>

- कोई भी अपील बिना फीस के स्वीकार नही की जायेगी। प्रथम अपील के लिए यह 2500/— (दो हजार पांच सौ रूपये मात्र) तथा द्वितीय अपील के लिए यह 10,000/—(दस हजार रूपये) निर्धारित है जिसे सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर के पक्ष में डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा देय हैं।
- अपील पेश किये जाने पर अपील अधिकारी द्वारा नियत तिथि को सुनवाई हेतु पेश होना आवश्यक है ताकि समस्त पक्षों को सुनने के उपरान्त उचित निर्णय लिया जा सके। इस निर्णय की प्रति सम्बन्धित पक्षकारों को निःशुल्क उपलब्ध कराई जायेगी।

अपीलार्थी के हस्ताक्षर

Annexure – 1

<u>वित्तीय निविदा सूचना</u>

Auction Document for

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर में रद्दी खरीदे जाने बाबत निविदा।

Tender Inviting Authority: SECRETARY, Rajasthan Staff Selection Board, Jaipur, Rajasthan			
Bidder Name :			
SCHEDULE OF WORKS			
Sr. No.	Description of Work	Rate per Kg. (In Numbers)	Rate per Kg. (In Words)
1	2	3	4
1	कतरन (Shredded Paper Scrap Material) की गयी कागज रद्दी सामग्री।		
नोट : सरकार द्वारा अधिसूचित जी.एस.टी. एवं टी.सी.एस. रद्दी उठवाये जाने से पूर्व फर्म द्वारा जमा करवाकर चालान की प्रति कार्यालय में जमा करवाई जावेगी। माल की अनुमानित मात्रा की राशि अग्रिम रूप से ई–ग्रास चालान द्वारा बोर्ड कार्यालय में जमा कराई जाएगी। माल की मात्रा कम/ज्यादा हो सकती है।			

Name of Work : राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर में रद्दी खरीदे जाने बाबत निविदा ।

1. निविदादाता के हस्ताक्षर
2. निविदादाता का नाम
3. डाक का पता
4. टेलीफोन नं. (दुकान)

स्थान :

दिनांक :

Annexure – 2

अपील का ज्ञापन

.... की अपील सं..................................

(प्रथम / द्वितीय अपील प्राधिकारी)...................................... के समक्ष

1. अपीलार्थी की विशिष्टियां
   (i) अपीलार्थी का नाम
   (ii) कार्यालय का पता, यदि कोई हो
   (iii) आवासिय पता
2. प्रत्यर्थी (प्रत्यर्थियों) का नाम और पताः
   (i)
   (ii)
   (iii)
3. आदेश का संख्यांक और तारीख जिसके विरूद्व अपील की गयी है और अधिकारी / प्राधिकारी का नाम और पदनाम जिसने आदेश पारित किया है, (प्रतिलिपि संलग्न करें) या अधिनियम के उपबंधो के उल्लंधन में उपापन संस्था के किसी विनिश्चय, कार्य का लोप का विवरण जिससे अपीलार्थी व्यथित हैः
4. यदि अपीलार्थी किसी प्रतिनिधि द्वारा प्रतिनिधित्व किये जाने के लिए प्रस्ताव करता है तो प्रतिनिधि का नाम और डाक का पताः
5. अपील के साथ संलग्न किये गये शपथपत्रों और दस्तावेजो की संख्याः
6. अपील का आधार :–...
   ....
   ....(शपथ पत्र द्वारा समर्थित)
7. प्रार्थनाः–
   ....
   ....
   ....
   ....

स्थानः–..

तारीखः–..

अपीलार्थी के हस्ताक्षर

Annexure – 3

निविदादाता द्वारा घोषणा स्वयं के लेटर हेड पर

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैने/हमने जिस माल/सामान के लिए संविदा दी है, उसका मैं/हम बोनाफाइड/प्राधिकृत वितरक/बोनाफाइड डीलर/विपणन एजेण्ट हूँ/हैं।

मैं/हम जिस माल/सामान/सेवा के लिए निविदा दी है, की आपूर्ति का कार्य ....वर्ष से कर रहा हूँ/रहे हैं।

यदि उक्त घोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कार्यवाही, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप से समपहृत किया जा सकेगा तथा निविदा को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर

Annexure – 4

<u>निविदादाता द्वारा अपनी फर्म के लेटर हेड पर प्रस्तुत किया जाये</u>

<u>घोषणा–पत्र</u>

हमें / मुझे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर में " **कतरन (Shredded) की गयी रद्दी सामग्री बेचने के दर अनुबन्ध**" हेतु निविदा की समस्त शर्ते स्वीकार है मेरे द्वारा दी कोई अतिरिक्त शर्त स्वीकार कराने के लिए मै विभाग को बाध्य नहीं करूंगा एवं विभाग द्वारा दिये गये निर्देशो की कठोरता से अनुपालना करूंगा।

हमे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा दी गई निविदा की समस्त शर्त स्वीकार्य है।

हस्ताक्षर निविदादाता मय सम्पूर्ण पता एवं दिनांक

Annexure – 5

50 रू. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर सम्पादित किया जाये

Declaration by the Bidder

I/We do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings.

Date :

Place :

Signature of bidder

Name :

Designation:

Address :

Annexure – 6

ई–ग्रास द्वारा चालान बनाये जाने हेतु विस्तृत प्रक्रिया

1. अमानत राशि निविदा प्रपत्र में सम्बन्धित सुरक्षा सेवा के सामने दर्शायी गयी अनुमानित राशि की 02 प्रतिशत होगी, जो कि वित्त विभाग राजस्थान जयपुर के परिपत्र क्रमांक प.6(5)वित्त/साविलेनि/2018/जयपुर दिनांक 27.04.2020 एवं दिनांक 09.07.2020 के अनुसरण में ऑनलाईन ई–ग्रास पद्धति से जमा करायी जायेगी तथा इसके अतिरिक्त बोली दस्तावेज मूल्य एवं RISL का प्रोसेसिंग शुल्क भी ऑनलाईन ई–ग्रास पद्धति से देय होगा। जिसकी ई–भुगतान रसीद/ई–ग्रास चालान से राशि जमा की प्रति ऑनलाईन ई–निविदा भरते समय अपलोड करनी अनिवार्य होगी।

- लोक उपापन प्रक्रिया में पारदर्शिता स्थापित करने के उद्देश्य से ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर ई–निविदाओं के प्रेषण के लिए एक ही चालान से ऑनलाईन ई–ग्रास सिस्टम के माध्यम से बिड सिक्योरिटी (अमानत राशि) बजट मद 8443–00–103–00–00 में, बोली दस्तावेज मूल्य (निविदा शुल्क) बजट मद 0075–00–800–(52)–{01} में एवं ई–प्रोसेसिंग शुल्क (RISL) बजट मद 8658–00–102–(16)–{01} के अन्तर्गत राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर के नाम से जमा की जायेगी।
- बिडर का ई–ग्रास पर लॉगिन पहले से नहीं बना हो तो सर्वप्रथम बिडर को ई–ग्रास पोर्टल पर New User Sign Up से लॉगिन फॉर्म भरना है।
- Login ID Password प्राप्त करने के पश्चात ई–ग्रास पोर्टल पर Sign In करें।
- चालान जमा करवाने हेतु Service Challan का ऑप्शन चयन करें।
- Department (Rajasthan Sub-ordinate & Ministerial Service Selector Board हेतु विभागीय कोड 223 एवं ऑफिस Rajasthan Staff Selection Board आई.डी.–32297) का चयन करें।
- चालान फॉर्म में Period के Option में onetime option का चयन करें।
- Payment Mode में ऑनलाईन एवं ऑफलाईन दोनों ऑप्शन उपलब्ध हैं। ऑनलाईन मोड चयन करने पर संबंधित बैंक की वेबसाईट पर रीडायरेक्ट कर दिया जायेगा। ऑफलाईन भुगतान करने की स्थिति में जिस बैंक का विकल्प चुना है, उसकी संबंधित बैंक में चालान/कैश जमा कराना होगा। विस्तृत प्रक्रिया ई–ग्रास पोर्टल (egras.rajasthan.gov.in) पर User Mannual में उपलब्ध है। किसी प्रकार की तकनीकी सहायता के लिए ई–ग्रास हेल्प डेस्क नंबर 0141–2744294 पर सम्पर्क किया जा सकता है। वर्तमान में चालान द्वारा ही भुगतान किया जाना है।

2. निविदा शुल्क/अमानत राशि/तैस प्रोसेसिंग फीस ऑनलाईन अपलोड किये जाने के पश्चात राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर में भ्तक ब्यचल जमा कराने की आवश्यकता नहीं है। केवल ऑनलाईन ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर अपलोड दस्तावेज ही मान्य होंगे। ऑनलाईन टेण्डरिंग से संबंधित अधिक जानकारी के लिए ई–प्रोक्योरमेंट हेल्प डेस्क 0141–4022688, 0120–4711–508, 0120–4001–002 पर सम्पर्क करें।

निविदा प्रपत्र शुल्क, अमानत राशि एवं प्रोसेसिंग शुल्क जमा कराने की प्रक्रिया	**1. निविदा प्रपत्र शुल्क – 0075–00–800–(52)–{01}** **2. अमानत राशि/प्रतिभूति जमा – 8443–00–103–00–00** **3. प्रोसेसिंग शुल्क – 8658–00–102–(16)–{01} (सिविल विभाग)** **विभागीय कोड – 223** **ऑफिस आई.डी. – 32297** **कार्यालय – राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर** **लोकेशन – जयुपर**

हस्ताक्षर निविदादाता
मय सील

Document certified by Preeti Mathur
<Digitally signed by Preeti Mathur>
<Email: department.group3@gmail.com>
Designation: Secretary
Date :12-01-2026 11:13:44

RajKaj Ref No.: 19686972
eSign DSC